न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 94/2016
दायरा तिथि : 15.11.2016
निर्णय तिथि : 05-12-2017

वादी :–

वागाराम पुत्र दानाजी जाति जणवा चौधरी
निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कीकाराम पुत्र देवारामजी
2. भीकाराम पुत्र देवारामजी तमाम जातिगण जणवा चौधरी
   निवासीगण खुडाला तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

:: निर्णय:: **दिनांक : 05-12-2017**

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण मे न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2016 को जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर दोनो पक्षो के वकुलाय को सुना गया। वकील वादी श्री अमृतलाल परिहार व वकील प्रतिवादी श्री गणपतलाल चौधरी नें तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति जताते हुये प्राप्त रिपोर्ट अनुसार फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। इस संबध में प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विभाजन रिपोर्ट पर पक्षकारान् वागाराम, कीकाराम के सहमति के तौर पर हस्ताक्षर हैं। अत बाद अवलोकन पत्रावली व सुनने वकील वादी व वकील प्रतिवादी एवं पैरोकार सरकार सरहद मौजा सेला स्थित भूमि खसरा नंबर 27/4 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म बारानी दोयम लगानी 1.60 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 के तहत तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

क्र. सं	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रूपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
1	कीकाराम पुत्र देवाराम भीकाराम पुत्र देवाराम कौम जणवा सा. खुडाला	27/5	0.14	बा.दो.	0.70	
2	वागाराम पुत्र दानाजी कौम जणवा सा. खुडाला खातेदार	27/4	0.14	बा.दो.	0.70	
3	कीकाराम पुत्र देवाराम भीकाराम पुत्र देवाराम वागाराम पुत्र दानाजी कौम जणवा सा. खुडाला खातेदार	27/6	0.04	बा.दो.	0.20	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, धणी को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(गौरव अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी, बाली
आई.ए.एस.

निर्णय आज दिनांक 5-12-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

Scanned by CamScanner